# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

**पीठासीन अधिकारी** : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या** : **80/2010**
**GCMS** : **2010/00016**

–:: प्रार्थी ::–

1. ओगड़राम पुत्र बाला
2. पाँचू पुत्र बाला
3. तुलछा पुत्र छोगा
4. मांगू पुत्र छोगा
5. नारू पुत्र हजारी
6. नैना पुत्र हजारी

जातियान– गुर्जर, निवासीगण– निम्बेटी (रास), तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली
2. तहसीलदार जैतारण
3. पटवारी हल्का रास द्वितीय तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

**<u>राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>**

**<u>तारीख रजू: 30/06/2010</u>**

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार राज।

**<u>–:: निर्णय ::–</u>** **<u>दिनॉकः 02/12/2020</u>**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निम्बैटी रास पटवारी हल्का रास जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 3104 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा की कृषि भूमि किस्म चाही द्वितीय व खसरा नम्बर 3101 रकबा 49 बीघा 1 बिस्वा किस्म बी. द्वितीय स्थित है। उक्त आराजी की कृषि भूमि पर सायलान की इनके दादा उदाजी के समय में और उनके पिता बाला, छोगा व हजारी का कब्जा काश्त सैटलमेन्ट के समय पूर्व से चला आ रहा है परन्तु खसरा परिवर्तनशील में नाम सम्वत् 2017 से अंकित होकर चला आ रहा है। जो खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रति में बाला, छोगा व हजारी पुत्रगण उदाजी का नाम अंकित है। जो सम्वत् 2059 तक लगातार बाला, छोगा व हजारी का नाम अंकित है एवं इनके फौत होने के बाद में सायलान का नाम लगातार अंकित है और शान्तिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के कब्जा काश्त है और प्रत्येक वर्ष जुर्माना की रसद जमा करवाते [illegible] प्रति नक्शा ट्रेस व खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2017 से [illegible] एवं जुर्माना की रसीद साथ पेश है जो वाद पत्र का व प्रार्थना–पत्र [illegible] आराजी में सायलान एवं उनके पिता व दादा का नाम [illegible] अधिक समय से कब्जा काश्त है। जो समय समय पर धारा 91 आर०एल०आर० [illegible] एक्ट कि तहत नोटिस गैरसायलान द्वारा देने पर लगातार जुर्माना जमा करवाते आ रहे है। जुर्माना की रसीद ज्यादा समय होने के कारण वर्णित कुछ रसीद नष्ट हो गई है एवं चूहों ने काट ली है। इसके उपरान्त भी सायलान एवं इनके पिता व दादाजी के समय से भी राजस्व अधिकारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी

को बार बार निवेदन करने एवं प्रार्थना–पत्र पेश करने के उपरान्त भी इनके नाम से नियमन करके नियमानुसार सनद की राशि जमा करके सनद जारी नहीं की और न ही खातेदार अधिकार दिये गये जो हल्का पटवारी व तहसीलदार जैतारण की बड़ी भारी वाक्याती कानूनी भूल की है। सायलान के पिता व दादाजी के समय से पुराना कब्जा काश्त है और बिना किसी रोकटोक के शान्ति पूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। इस पुराने कब्जे के आधार पर भी एडवासं पजेशन के आधार पर सायलान मालिक हो गये है। ऐज ऑफ राईट के इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। सायलान संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व सायलान संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा और सायलान संख्या 5 से 7 तक का 1/3 हिस्से में कब्जा काश्त है और शान्तिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। इसलिये सायलान के नाम से इनके नाम खातेदारी देने एवं नियमन करने हेतू इनके नाम से नियमानुसार राशि जमा करके सनद जारी करके खातेदार अधिकार दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं खातेदारी में इनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित करनें का आदेश फरमावें। उक्त आराजी की कृषि भूमि से सायलान को किसी भी तरह से नोटिस देकर बेदखल नहीं करें और न ही जुर्माना राशि वसूल करें, न ही धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत सजा दी जावें। इसलिए राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करनें के पूर्व में दो माह का नोटिस धारा 80(2) सी0पी0सी0 का नोटिस देने का मैण्डेटरी प्रावधान है। जो सायलान द्वारा उक्त प्रकरण में राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली, तहसीलदार जैतारण एवं हल्का पटवारी रास द्वितीय का जरिये रजिस्टर्ड ए/डी के दिनांक 17.04.2010 को नोटिस दिया गया जो गैरसायलान को नोटिस प्राप्त हो चुके है। रजिस्ट्री करवाने की रसीद प्राप्ति ए/डी एवं नोटिस की प्रति इस प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है, जो प्रार्थना–पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर पुराना कब्जा काश्त है और शान्तिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के इसका उपयोग और उपभोग करते आ रहे व ऐज ऑफ राईट के शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। यदि गैरसायलान ने मिल गैर कानूनी रूप से उक्त आराजी की कृषि भूमि से बेदखल कर दिया तो सायलान अपने कानूनी जायज अधिकारों एवं हक हकूको से वंचित रह जायेगें। इसलिये सायलान की तरफ से गैरसायान के विरुद्ध घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो रहा है। प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर सायलान का सैटलमेन्ट के पूर्व से पुराना कब्जा काश्त है। शान्तिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। पुराने कब्जे एवं राजस्व रेकर्ड के आधार पर सायलान के पक्ष में बहुत मजबुत मामला है। प्रथम दृष्ट्यां मामला भी सायलान के पक्ष में हैं। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। यदि गैर कानूनी रूप से सायलान के मालिकाना अधिकार की उक्त आराजी की कृषि भूमि में बेदखल कर दिया तो सायलान अपने कानूनी हक हकूकों एवं अधिकारों से वंचित रह जायेगें एवं अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी [illegible] बार कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। जिससे सायलान के खर्च से [illegible] गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करने का इस आशय फर[illegible] की सायलान को उक्त आराजी खसरा नम्बर 3104 व 3101 की कृषि भूमि से धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट का नोटिस देकर बेदखल नहीं करें और न ही जुर्माना वसूल करें, न ही किसी तरह से सजा करें। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा हमेशा के लिये वाद पत्र के निर्णय तक गैरसायलान को रोका जावें। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि सायलान के पक्ष में एवं गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुये। पत्रावली में प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 07 सी.पी.सी. का स्वीकार कर भू-अभिलेख निरीक्षक रास व पटवारी हल्का रास द्वितीय से वर्तमान फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त कि जो सा0 मि0 हैं। अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

(1) **प्रथमदृष्ट्या मामला** :- प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवाय चक है, जिस पर कब्जे काश्त के आधार पर प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की माँग की है। मूल वाद के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि केवल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जो कि विधि-विरुद्ध है, के आधार पर प्रथम-दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना नहीं माना जा सकता है, अतः यह बिंदू प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

(2) **सुविधा का संतुलन** :- चुंकि प्रार्थीगण सरकारी सिवाय चक भूमि पर अतिचारी है तथा किसी भी विधि-विरुद्ध कृत्य से कोई अधिकार सृजित या निहित नहीं हो सकते हैं। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

(3) **अपूरणीय क्षति** :- चुंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी है तथा भूमि भू-अभिलेख में खाता सरकार अंकित है, ऐसी दशा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से खातेदार सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति होनें की प्रबल आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## -: *आदेश* :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.12 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 02/12/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)